फर्दअहकाम
(नियम– 26)
अज अदालत सहायक कलक्टर सिवाना

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 [illegible]राम पुत्र दूदाराम जाति चौधरी निवासी खेडा तह[illegible] गुडामालानी वगैरह (3)		1 स्व. मनसुखसिंह के विधिक वरिसान 1/1 अस्तकंवर पत्नी मनुसंख जाति राजपूत निवासी वगैरह (25) 26 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा 212 RTA मु0नं0 130/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
06.09.21	प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री कपिल श्रीमाली द्वारा विप्रार्थीगण अस्तकंवर वगैरा के विरूद्ध पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का पेश किया। जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। प्रार्थीगण द्वारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर उपरोक्त प्रकरण में माफिक प्रार्थना पत्र वादग्रस्त भूमि बाबत दरम्यान विचारण न्यायालय अंतरिम स्थगन आदेश जारी करने बाबत् निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन व विवेचन अंतरिम स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत होना नहीं होने से अस्वीकार कर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी विप्रार्थीगण हेतु दिनांक 4.10.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
04.10.21	पत्रावली आज पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदया प्रशासन गांवों के संग अभियान में व्यस्त है पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14.02.22 को पेश हो।	
14.02.22	पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थीगण व प्रार्थी [illegible] आज न्यायालय समय में [illegible] अलग अलग [illegible] दी गई मगर कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अभिभाषक के अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] कुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Choudhary
Date: 2022.03.10 14:03:49 IST
Reason: SelfAttested